

फर्द अहकाम


मालीराम वर्मा बनाम प्रभातराम वर्मा

कय बसायक कलक्टर (P.O.) शाहपुरा

79/2023

दावा - 53,188 रु

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/11/24	<p>पठील उम्दपक्ष उपरोक्त वकील उम्दपक्ष ने प्रकाश मे राजीनामे अनुसार दावा अन्तिम डिक्री छिदे जाने हेतु निवेदन किया।</p> <p>स्वीकृत गया। वकील उम्दपक्ष डी अद्यतन मंगल किया गया। पत्रावली का आवलोकन किया। धौके पक्षकारान राजीनामे अनुसार वाद-पदा मे खटेवारा चाहते छी अतः राजीनामे अनुसार दावा अन्तिम छिडी किया जाता छी फैसला अलग से लिखाया जात सुनाया गया। पत्रावली फ़िराब सुमार धैरत हर्ष नोबल के करन हो।</p>	


 सहायक कलक्टर
 शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब अन्व प्रशासनिक कार्य है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. को पेश हो।

(रीडर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट - ट्रेक) शाहपुरा जिला - जयपुर (ग्रामीण)

राजकीय अधिकारी
संख्या

- श्री अशोक कुमार, आर ए एस
- 79/2023

शीर्षक

1. श्रीराम पुत्र स्व. नाथूराम

2. नाथूराम पुत्र स्व. नाथूराम

समस्त वयस्क, जाति अहीर निवासीगण ग्राम लिसाड़िया तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर
हाल निवासीगण करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

-वादीगण

बनाम



1. प्रभातराम पुत्र स्व0 नाथूराम

2. जयदीश प्रसाद पुत्र स्व. नाथूराम

3. सुरजमल पुत्र स्व. नाथूराम

समस्त वयस्क, समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम लिसाड़िया तह0 श्रीमाधोपुर
जिला सीकर राज0

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 18/11/2024

वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि कि विवादित आराजी खसरा नंबर 215/3132, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 284/313 कुल किता 8 कुल रकबा 1.80 है0 भूमि वाकै ग्राम करीरी पटवार हल्का करीरी तह0 शाहपुरा में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण नंबर 1 लगा0 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं खसरा नंबर 267/3120, 269 लगा0 276, 278 कुल किता 10 रकबा 3.71 है0 भूमि वाकै ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में भूमि खसरा नंबर 225, 227 कुल किता 02 कुल रकबा 0.66 है0 है जिसकी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 03 नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी खसरा नंबर 221 से 223 कुल किता 03 कुल रकबा 0.75 है0 भूमि वाकै ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 03 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आ0 ख0 नं0 229 रकबा 0.76 है0 भूमि वाकै ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा में स्थित है जिसकी खातेदारी 79/162 प्रतिवादी

सहायक कलक्टर

संख्या 02 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आ0ख0नं0 228 रकबा 0.63 है0 भूमि वाकै ग्राम करीरी तहसील-शाहपुरा में स्थित है जिसकी खातेदारी में हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम व 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादी नंबर 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आ0ख0नं0 226 रकबा 0.38 है0 वाकै ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, जिसमें द्यूबवैल मय विद्युत कनेक्शन प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा 3 आपस में सगे भाई है वादीगण हाल ग्राम करीरी में निवास करते है व प्रतिवादीगण सं0 1 लगा 3 ग्राम लिसाडिया तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में स्थाई रूप से निवास करते है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 की संयुक्त बिन्दू परिवार की संयुक्त कुटुम्ब की सहदायकी कृषि भूमियां ग्राम करीरी व ग्राम लिसाडिया में स्थित है जो सभी भाईयों की पारिवारिक संयुक्त कृषि भूमियां हैं। उक्त भूमियों बाबत बाहमी पारिवारिक समझौता अर्सा करीब 25 वर्ष पूर्व हो गया उक्त बाहमी समझौते अनुसार ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा की समस्त कृषि भूमियां वादीगण के हक हिस्से में तन्हा रूप से हक हिस्से आ गयी है तृथम ग्राम करीरी लिसाडिया की समस्त कृषि भूमियां जो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 के हक हिस्से में तन्हा रूप से आयी हुई है।

ग्राम लिसाडिया में स्थित कृषि भूमियां वर्तमान खतोनी संख्या 313, 312, 314, 594 771 है जिसमें वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं रहा है वादीगण के नाम दर्ज उक्त सम्पूर्ण भूमियां प्रतिवादीगण के उनके हक हिस्से अनुसार तन्हा रूप से बंटवारे में आ गयी है इसी अनुसार ग्राम करीरी में प्रतिवादीगण का लेना देना नहीं रहा हैं व ग्राम लिसाडिया तह0 श्रीमाधोपुर में वादीगण का कोई लेना देना समझौता बाहमी के बाद से नहीं रहा है। यहा यह भी उल्लेखनीय हैं कि ग्राम लिसाडिया तह0 श्रीमाधोपुर में स्थित भूमियों बाबत प्रतिवादीगण द्वारा वाद पेश होने पर वादीगण द्वारा इसी अनुसार अपनी सहमति देकर न्यायालय एसडीओ श्रीमाधोपुर द्वारा उक्तानुसार निर्णय व डिक्री जारी की जा चुकी है। पक्षकारान ने वादपत्र में वर्णित भूमियों को मौके पर बाहमी रूप से समझौता कर रखा है, उक्त समझौता अनुसार भूमि-खसरा नंबर 226 रकबा 0.38 है0 सम्पूर्ण, खसरा नंबर 225 रकबा 0.27 है0, खसरा नंबर 227 रकबा 0.39 है0 सम्पूर्ण व वादपत्र की मद नंबर 1 लगा0 4 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 नाम दर्ज हिस्से में से आधा हिस्सा वादी संख्या 1 के, व भूमि खसरा नंबर 228 रकबा 0.63 है0 सम्पूर्ण, खसरा नंबर 229 रकबा 0.76 है0 सम्पूर्ण व वादपत्र की मद नंबर 1 लगा0 4 में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 के नाम दर्ज हिस्से में से आधा हिस्सा वादी संख्या 2 के हक हिस्से में तन्हा रूप से आया हुआ है। इसी अनुसार वादीगण अपनी अपनी भूमियों पर तन्हा रूप से अलग-अलग सीव नीव कायम कर मौके पर अलग-अलग काबिज है। इसी अनुसार वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज करने के अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध चले आ रहे हैं इस कारण वादीगण के कब्जे काशत में प्रतिवादीगण के द्वारा कभी कोई मजाहमत व चाराजोही नहीं की गई है। इस कारण वादीगण द्वारा पूर्व में कोई कार्यवाही नहीं की गयी परन्तु अब जमीनों की बढ़ती हुई कीमतों व वर्तमान मौजूद समय

में माल से संबंधित माहौल को कारण वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज करना आवश्यक समझते हैं। वादीगण ने दिनांक 19.04.2023 को प्रतिवादीगण को इस संबंध में बताने के लिए आवेदन किया था। इसी कारण वादीगण को यह वादपत्र न्यायालय द्वारा अंतर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः में निवेदन किम् कि पक्षकारान के मध्य हुये पारिवारिक सौदलमेन्ट के अनुसार वाम कोशीरी सहो शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 226 रकबा 0.26 है 0 सम्पूर्ण मय विद्युत कनेक्शन व खसरा नंबर 225 रकबा 0.27 है 0 सम्पूर्ण व खसरा नंबर 227 रकबा 0.39 है 0 सम्पूर्ण तथा वादपत्र की मद नंबर 01 लगा 0 04 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादी सं 0 1 लगा 0 3 के नाम दर्ज हिस्से में से आधा हिस्सा वादी संख्या 1 को काबिज खातेदार काशतकार घोषित किया जावे व भूमि खसरा नंबर 228 रकबा 0.63 है 0 सम्पूर्ण, खसरा नंबर 229 रकबा 0.76 है 0 सम्पूर्ण तथा वादपत्र की मद नंबर 01 लगा 0 04 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादी सं 0 1 लगा 0 3 के नाम दर्ज हिस्से में से आधा हिस्सा का वादी सं 0 2 को काबिज खातेदार काशतकार जरिये पारिवारिक बाहमी समझौता अनुसार घोषित किया जाकर वादीगण के एक हिस्से अनुसार एक दूसरे के हिस्से में आयी हुयी भूमियों से एक दूसरे का नाम हजफ किया जाकर वादपत्र की मद नंबर 1 लगा 0 7 में प्रतिवादी सं 0 1 लगा 0 3 का नाम हजफ फरमाया जाकर मुताबिक डिक्री रिकॉर्ड में खातेदारी अंकन कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधीवत नोटिस जारी किये गये। दिनांक 11.10.2023 को प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा 0 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा इकबाली जवाब दावा तथा राजीनामा पेश किया। प्रकरण में वकील उभयपक्ष ने वाद-पत्र, इकबाली जवाब दावा तथा राजीनामा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एवं पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा अनुसार दोनों पक्षों ने राजीनामा अनुसार प्रकरण में बंटवारा/ अन्तिम डिक्री किया जाना स्वीकार किया है। अतः मुताबिक राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादीगण व प्रतिवादीगण के आपस में परस्पर राजीनामा के मुताबिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक राजीनामा के अनुसार पक्षकारान के नाम बंटवारा में आयी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दायमद करें। तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को तहरीर जारी हो। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

नामालय सहायक कलेक्टर (माल्ट - टैक्स) शाहपुरा जिला - जयपुर (ग्रामीण)

पीठाधीन अधिकारी
काय संख्या

श्री अशोक कुमार, आर ए एस
79/2023

सीमित

1. नलीलम पुत्र स्व. नाथूराम
 2. लामूराम पुत्र स्व. नाथूराम
- समस्त व्यवस्था, जाति अहीर निवासीगण ग्राम लिसाहिया तहसील श्रीमधोपुर जिला सीकर
जिल निवासीगण कर्मीनी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

-वादीगण

बनाम



1. प्रभातलम पुत्र स्व. नाथूराम
 2. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. नाथूराम
 3. सुरजमल पुत्र स्व. नाथूराम
- समस्त व्यवस्था, समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम लिसाहिया तहसील श्रीमधोपुर
जिला सीकर राज.
4. राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

-प्रतिवादीगण

इस बत बटवारा पूर्व स्वामी निधेवाजा अन्तर्गत धारा-50 व 188 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 18/11/2024

अतः दावा वादीगण व प्रतिवादीगण के आपस में परस्पर राजीनामा के मुताबिक
हिली किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक
राजीनामा के अनुसार प्लकग्रान् के नाम बटवारा में आयी भूमि का राजस्व निर्वाह में अमल
व्यय करें। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। पत्रावली फौजल शुमार होकर दखिल
दस्त हो।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजालास
सुनाया गया।

(अशोक कुमार)

सहायक कलेक्टर (माल्ट - टैक्स)
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. जवाब पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्श के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. समझ पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. जसिये के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की तारीख	
6. अतिरिक्त की फीस		डामिशनर की फीस	
7. अदालत की तारीख			
8. अदालत की तारीख			
9. अदालत की तारीख			
10. अदालत की तारीख			
11. अदालत की तारीख			
12. अदालत की तारीख			
13. अदालत की तारीख			
14. अदालत की तारीख			
15. अदालत की तारीख			
16. अदालत की तारीख			
17. अदालत की तारीख			
18. अदालत की तारीख			
19. अदालत की तारीख			
20. अदालत की तारीख			
21. अदालत की तारीख			
22. अदालत की तारीख			
23. अदालत की तारीख			
24. अदालत की तारीख			
25. अदालत की तारीख			
26. अदालत की तारीख			
27. अदालत की तारीख			
28. अदालत की तारीख			
29. अदालत की तारीख			
30. अदालत की तारीख			
31. अदालत की तारीख			
32. अदालत की तारीख			
33. अदालत की तारीख			
34. अदालत की तारीख			
35. अदालत की तारीख			
36. अदालत की तारीख			
37. अदालत की तारीख			
38. अदालत की तारीख			
39. अदालत की तारीख			
40. अदालत की तारीख			
41. अदालत की तारीख			
42. अदालत की तारीख			
43. अदालत की तारीख			
44. अदालत की तारीख			
45. अदालत की तारीख			
46. अदालत की तारीख			
47. अदालत की तारीख			
48. अदालत की तारीख			
49. अदालत की तारीख			
50. अदालत की तारीख			
51. अदालत की तारीख			
52. अदालत की तारीख			
53. अदालत की तारीख			
54. अदालत की तारीख			
55. अदालत की तारीख			
56. अदालत की तारीख			
57. अदालत की तारीख			
58. अदालत की तारीख			
59. अदालत की तारीख			
60. अदालत की तारीख			
61. अदालत की तारीख			
62. अदालत की तारीख			
63. अदालत की तारीख			
64. अदालत की तारीख			
65. अदालत की तारीख			
66. अदालत की तारीख			
67. अदालत की तारीख			
68. अदालत की तारीख			
69. अदालत की तारीख			
70. अदालत की तारीख			
71. अदालत की तारीख			
72. अदालत की तारीख			
73. अदालत की तारीख			
74. अदालत की तारीख			
75. अदालत की तारीख			
76. अदालत की तारीख			
77. अदालत की तारीख			
78. अदालत की तारीख			
79. अदालत की तारीख			
80. अदालत की तारीख			
81. अदालत की तारीख			
82. अदालत की तारीख			
83. अदालत की तारीख			
84. अदालत की तारीख			
85. अदालत की तारीख			
86. अदालत की तारीख			
87. अदालत की तारीख			
88. अदालत की तारीख			
89. अदालत की तारीख			
90. अदालत की तारीख			
91. अदालत की तारीख			
92. अदालत की तारीख			
93. अदालत की तारीख			
94. अदालत की तारीख			
95. अदालत की तारीख			
96. अदालत की तारीख			
97. अदालत की तारीख			
98. अदालत की तारीख			
99. अदालत की तारीख			
100. अदालत की तारीख			

जोड़